

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,

मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, काशीरामनगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्तरविदासनगर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, झांसी, ललितपुर तथा जालौन।

संख्या:-1/शा०/59/2013-1/135/2013,

लखनऊ :: दिनांक 29 नवम्बर, 2013

विषय:-निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान-83 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रू०-937.50 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-655/26-ब०प्र०-2013-100(18)/2012, दिनांक 22-11-2013 के अन्तर्गत अनुदान सं०-83 में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत राज्यांश मद में प्राविधानित धनराशि रू०-2500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से रू०-937.50 लाख (रूपया नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) के अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं०-बी०-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-03-2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केंद्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 3- उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 4- प्रश्नगत धनराशि एस०सी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केंद्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०सी० लाभार्थियों हेतु एस०सी०एस०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केंद्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।
- 5- इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- 6- उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

21-9/17



7- जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

8- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के0 80/रा0 20-रा0)-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा, जारी शासनादेश सं0-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10- किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होंगे। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11- आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।

12- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

13- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-16 पर अंकित है।

संलग्न-उक्तवत्।

भवदीय,

( सौरभ बाबू )

निदेशक,

पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:-1/शा0/59/1/2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा आडिट(प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश, सत्यनिष्ठा भवन, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
- 4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 5- विशेष सचिव, वित्त ((व्यय-नियंत्रण) अनु0-3/वित्त बजट अनु0-2 उ0प्र0 शासन।
- 6- विशेष सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
- 7- सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
- 9- उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 10- तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

( शहजाद अहमद अन्सारी )

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायती राज, उ0प्र0।



Print ReportAllotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014  
आवंटन दिनांक-29/11/2013

प्रेषण संख्या:-  
आवंटन आदेश संख्या:-  
अनुदान संख्या:-  
लेखाशीर्षक:-

1-sha-59-2013-1-135-2013

002-135-2013

83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मलदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

01 - ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1906000 2268000	1906000 2268000
2	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1708000 2098000	1708000 2098000
3	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	67000 318000	67000 318000
4	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2047000 2704000	2047000 2704000
5	अलीगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1906000 2682000	1906000 2682000
6	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1290000 2262000	1290000 2262000
7	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2134000 4582000	2134000 4582000
8	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	512000 512000	512000 512000
9	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	736000 736000	736000 736000
10	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2260000 2702000	2260000 2702000
11	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2806000 4448000	2806000 4448000
12	शाहजहांपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2414000 3396000	2414000 3396000
13	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1489000 2186000	1489000 2186000
14	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2062000 5025000	2062000 5025000
15	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1725000 3748000	1725000 3748000
16	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2055000 3103000	2055000 3103000
17	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	3554000 4562000	3554000 4562000
18	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	308000 308000	308000 308000
19	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	395000 1874000	395000 1874000



S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
20	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1449000 3475000	1449000 3475000
21	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1734000 4391000	1734000 4391000
22	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1208000 1208000	1208000 1208000
23	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1879000 2977000	1879000 2977000
24	जौनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2989000 3012000	2989000 3012000
25	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	179000 179000	179000 179000
26	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	257000 1214000	257000 1214000
27	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2892000 3878000	2892000 3878000
28	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2904000 5071000	2904000 5071000
29	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	3760000 4594000	3760000 4594000
30	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2905000 6292000	2905000 6292000
31	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2688000 4464000	2688000 4464000
32	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3877000 7207000	3877000 7207000
33	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2258000 4887000	2258000 4887000
34	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	360000 360000	360000 360000
35	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	3876000 9287000	3876000 9287000
36	सुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	669000 669000	669000 669000
37	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	2537000 2988000	2537000 2988000
38	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	13000 13000	13000 13000
39	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1030000 1213000	1030000 1213000
40	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	556000 556000	556000 556000
41	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1792000 3455000	1792000 3455000
42	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	724000 724000	724000 724000
43	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	1207000 1463000	1207000 1463000
44	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	368000 368000	368000 368000
45	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	752000 1421000	752000 1421000
46	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1385000 2824000	1385000 2824000
47	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, -- 01-	वर्तमान प्रगामी	3969000 9921000	3969000 9921000



## DO Allotment Report

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		27-सब्सिडी	योग
48	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2130000 4105000	2130000 4105000
49	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	881000 1286000	881000 1286000
50	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1090000 1420000	1090000 1420000
51	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1501000 2041000	1501000 2041000
52	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1806000 3050000	1806000 3050000
53	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	79000 79000	79000 79000
54	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	158000 158000	158000 158000
55	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	685000 1034000	685000 1034000
56	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1048000 1607000	1048000 1607000
57	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1075000 1859000	1075000 1859000
58	ज्योतिबाफूले नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	911000 911000	911000 911000
59	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	778000 993000	778000 993000
60	कांसीराम नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	17000 82000	17000 82000
	योग	वर्तमान प्रगामी	93750000 156250000	93750000 156250000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार  
रुपया पन्द्रह करोड़ बासठ लाख पचास हजार

21/11/13  
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी  
शहजाद अहमद असारी



प्रेषक,

संख्या- 655/26-ब0प्र0-2013-100(18)/2012

दीनानाथ  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

लखनऊ दिनांक : 22 नवम्बर 2013

विषय:

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि रु0 937.50 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या-5/1526 /2013-5/53/2013, दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 एवं वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/ दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0-2500.00 लाख में से राज्यांश के मद में धनराशि रु0-625.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-477/26-ब0प्र0-2013-100(18)/2012, दिनांक 13.06.2013 द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है। उक्त धनराशि अवमुक्त कर दिये जाने के उपरान्त रु0 1875.00 लाख अवशेष है। अवशेष धनराशि रु 1875.00 लाख के सापेक्ष रु0 937.50 (रुपया नौ करोड़ सैतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/ दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपद वार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- (3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
- (4) प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जाएगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर भी राज्यांश का आहरण/व्यय किया जाएगा।
- (5) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
- (6) उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।



- (7) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/ अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- (8) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में कार्यान्वयन हेतु अनुदान (के0 80/रा.20-रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।
- (9) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007, दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
- (10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
- (11) आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फंजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नहीं की जाएगी।
- (12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2138/दस-2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


( दीनानाथ )  
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
- 4- ✓ मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 6- एन0आई0सी0 की प्रति।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/वित्त (बजट) अनु0-2।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
( दीनानाथ )  
अनु सचिव।



शासनादेश संख्या - 655 | 26-ब.प्र० - 2013-100(18) | 2012

दिनांक 22 नवम्बर 2013 का संलग्नक ।

पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जातियों के लिए राज्यांश अवमुक्त करने हेतु संशोधित प्रस्ताव

अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	राज्यांश की जा रही धनराशि
1	मेरठ	0.67
2	बागपत	6.85
3	गाजियाबाद	10.30
4	गौतमबुद्धनगर	8.81
5	बुलन्दशहर	20.47
6	सहारनपुर	19.06
7	मुजफ्फरनगर	17.08
8	आगरा	21.34
9	अलीगढ़	19.06
10	हाथरस	10.90
11	एटा	7.36
12	मैनपुरी	5.12
13	मथुरा	12.90
14	फिरोजाबाद	12.07
15	कासगंज	0.17
16	बरेली	22.60
17	बदायूँ	0.00
18	पीलीभीत	14.89
19	शाहजहानपुर	24.14
20	मुरादाबाद	28.06
21	अमरोहा	9.11
22	रामपुर	20.62
23	बिजनौर	0.00
24	लखनऊ	0.00

✓

dm

h

2



अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	राज्यांश की <del>आ रशि</del> धनराशि
1	2	3
25	रायबरेली	26.88
26	हरदोई	0.00
27	उन्नाव	0.00
28	सीतापुर	38.77
29	लखीमपुर खीरी	22.58
30	फैजाबाद	3.60
31	अम्बेडकर नगर	21.30
32	सुल्तानपुर	6.69
33	बाराबंकी	0.00
34	गोण्डा	0.00
35	बलरामपुर	15.01
36	बहराइच	38.76
37	श्रावस्ती	10.75
38	इलाहाबाद	35.54
39	कौशाम्बी	1.58
40	फतेहपुर	20.55
41	प्रतापगढ़	25.37
42	वाराणसी	12.08
43	चन्दौली	0.00
44	गाजीपुर	1.79
45	जौनपुर	29.89
46	मिर्जापुर	18.79
47	सोनभद्र	3.68
48	संतरविदासनगर	13.85
49	हमीरपुर	14.49
50	बांदा	17.34
51	चित्रकूट	7.78
52	महोबा	7.52

५

Am

— 3



अनुदान संख्या-83

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	राज्यांश की जा रही धनराशि
1	2	3
53	गोरखपुर	28.92
54	महाराज गंज	0.00
55	देवरिया	29.05
56	कुशीनगर	39.69
57	बस्ती	29.04
58	सन्त कबीर न०	18.06
59	सिद्धार्थ नगर	7.24
60	आजमगढ़	37.60
61	मऊ	17.92
62	बलिया	2.57
63	कानपुर नगर	17.25
64	कानपुर देहात	5.56
65	फर्रुखाबाद	0.00
66	कन्नौज	10.48
67	इटावा	0.00
68	औरैया	0.79
69	झांसी	3.08
70	ललितपुर	0.13
71	जालौन	3.95
	कुल योग-	937.50

✓  
(दीनानाथ)  
अनु सचिव।  
५